प्रेस नोट / सराहनीय कार्य दिनाँक 30.03.2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी,सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री छत्रपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, के कुशल निर्देशन में थाना सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-85/2021 धारा 323/354(क)/452/506 भा0द0वि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त मनोज कसौधन पुत्र कन्हैयालाल कसौधन निवासी मोहल्ला सरजूनगर पुरानी नौगढ़ थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के बारे में जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त उपरोक्त रोडवेज बस स्टेशन नौगढ पर मौजूद हैं व कहीं जाने की फिराक में हैं। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर, वहां खड़े व्यक्ति का नियमानुसार नाम, पता, तस्दीक करने के उपरान्त अभियुक्त मनोज कसौधन पुत्र कन्हैयालाल कसौधन निवासी मोहल्ला सरजूनगर पुरानी नौगढ थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता-

मनोज कसौधन पुत्र कन्हैयालाल कसौधन सा0 मोहल्ला सरजूनगर पुरानी नौगढ थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 श्री सभाजीत मिश्रा प्रभारी चौकी पुराना नौगढ थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

2- आरक्षी राहुल खरवार थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 30.03.2021

आज दिनांक 30.03.2021 को महिला थाना, सिद्धार्थनगर पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम, के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पन्नी लोटन, सिद्धार्थनगर की छात्राओं द्वारा भ्रमण किया गया, जहाँ पर छात्राओं द्वारा प्रभारी निरीक्षक महिला थाना एवं महिला पुलिसकर्मियों से भेंट किया गया | तत्पश्चात बालिकाओं द्वारा महिला थाना एवं कार्यालय आदि का भ्रमण कर जानकारी ली गई, इस दौरान वार्तालाप के क्रम में बालिकाओं को, नारी सुरक्षा हेतु शासन द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे-1090-वीमेन पॉवर हेल्पलाईन, 181-महिला हेल्पलाइन, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, 108-एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी। आगंतुक बच्चों को जलपान कराने के उपरांत छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए महिला थाना से विदा किया गया।

<u>प्रेस नोट दिनांक 30.03.2021</u>

90 शीशी नेपाली देशी शराब और 01 अदद चाकू नाजायज के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के उन्मूलन के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण, श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन और श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के कुशल नेतृत्व में दिनाँक: 30.03.2021 को प्रातः 07.55 बजे, उप निरीक्षक श्री शिवदास गौतम, थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हमराह हे.का. महेंद्र प्रताप और का. अनिल यादव व का. ओम प्रकाश के साथ मुखबिरी सूचना के आधार पर दो अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम औरहवा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रामप्रसाद निषाद पुत्र रामलखन निवासी जलापुरवा टोला तालकुंडा थाना ढेबरुआ के कब्जे से 90 शीशीअवैध नेपाली शराब और अभियुक्त मिथुन निषाद पुत्र राम निवास निवासी पिकौरा थाना ढेबरुआ के कब्जे से एक अदद नाजायज़ चाकू बरामद हुआ। उक्त बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा: 60/63 EXCISE ACT व धारा: 4/25A ACT का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>प्रेस नोट दिनांक 30.03.2021</u>

10 ली0 अवैध कच्ची देशी शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार|

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के उन्मूलन के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण, श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन और तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के कुशल नेतृत्व में दिनाँक: 29.03.2021 को सायंकाल 18:35 बजे, उप निरीक्षक श्री रतीश चंचल, थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हमराह का. धर्मेंद्र और का. अवधेश सोनी के साथ मुखबिरी सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढेकहरी बुजुर्ग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त बाबूलाल रंगवा पुत्र स्व. रामजीत रंगवा निवासी ढेकहरी बुजुर्ग थाना ढेबरुआ के कब्जे से 10 लीटर नाजायज़ कच्ची शराब बरामद हुआ। उक्त बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा: 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>प्रेस नोट दिनाक 30.03.2021</u>

20शीशी नेपाली शराब नाजायज़ के साथ 01तस्कर को पुलिस ने दबोचा *

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी , पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश, श्री सुरेश चंद्र रावत,अ.पु.अ. के ,दिशा निर्देश व श्री सिह, पुलिस उपाधीक्षक, सदर श्री राणा महेंद्र प्रताप सिह के कुशल पर्यवेक्षण, श्री महेश सिह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाक 30.03.21 को समय 16.30 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा एक तस्कर को 20 शीशी नेपाली शराब नाजायज़ के साथ ग्राम ठकुरपुर के पास से गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी बरामदगी का विवरण-

1- उस्मान पुत्र अस्दुल्लाह सा.पिपरहवा थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

2-20शीशी नेपाली नाजायज़ शराब

टीम का विवरण –

1-उपनिरीक्षक श्री किशोरी लाल चौधरी थाना कपिलवस्तु

2-का.सिब्बन लाल